फाइल नं0-71-1002/33/2023

69/2023/1/312816/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 09 मई, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनान्तर्गत (पी0एम0एस0एस0वाई0) नवनिर्मित सुपर स्पेशियिलटी ब्लाक (भवन) में ई-हास्पिटल प्रणाली को क्रियान्वित किये जाने एंव फोटोकापी मशीन इत्यदि के क्रय हेतु प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर के पत्र संख्या-2015/एन0डी0/2023, दिनांक 10.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनान्तर्गत (पी0एम0एस0एस0वाई0) नवनिर्मित सुपर स्पेशियिलटी ब्लाक (भवन) में ई-हास्पिटल प्रणाली को क्रियान्वित किये जाने उपकरण के क्रय एंव फोटोकापी मशीन इत्यादि के क्रय हेतु प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी0एम0एस0एस0वाई0) 1005-मेडिकल कालेज, कानपुर का उच्चीकरण में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख में से राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में पी0एम0एस0एस0वाई योजना के अंतर्गत ई-हास्पिटल प्रणाली को क्रियान्वित किये जाने हेतु उपकरण (संलग्नक-1 के अनुसार) के क्रय हेतु रू0 37,30,000/- एवं उक्त योजनान्तर्गत फोटो कापी मशीन इत्यादि उपकरण (संलग्नक-2 के अनुसार) क्रय हेतु रू0 144.50 लाख अर्थात् कुल रू0 1,81,80,000/- **(रू0 एक करोड़ इक्यासी लाख अस्सी हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1- उपकरणों के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य का होगा। क्रय किये जाने वाले उपकरणों के स्पेशसिफिकेशन, क्रय प्रक्रिया सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का होगा।

2- जिन उपकरणों/सामग्रियों की तकनीकी विशिष्टियां उपलब्ध नहीं है, उनके सम्बन्ध में प्रधानाचार्य आवश्यकतानुसार स्थानीय स्तर पर समिति का गठन कर मानकीकृत तकनीकी विशिष्टियॉ निर्धारित कर उसके आधार पर उपकरणों का क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपकरणों/सामग्रियों की गुणवत्ता, मानक के अनुसार निर्धारित करते हुये आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।

4- उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उपकरणों क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों एवं यू0पी0 प्रोक्योरमेन्ट एण्ड गुड्स मैनुअल, 2016 में में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगाए जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

9- डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त है।

10- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97 (ल0उ0)/2016, दिनॉक 23.08.2017 में दिए गए दिशा.निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2018/868/18-2-2017-2 (एस0पी0)/2017, दिनॉक 15.01.2018 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यालयाध्यक्ष रू0 1.00 लाख तक तथा विभागाध्यक्ष द्वारा रू0 50.00 लाख क्रयाधिकार संबंधी निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत ही क्रय प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही क्रयादेश निर्गत किये जायेंगे।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी- 1-227/ दस- 2023-231/2023 , दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- पारदर्शी प्रक्रिया से गुणवत्तायुक्त सामग्री का क्रय तथा तदनंतर आडिट का उत्तरदायित्व संबंधित प्रधानाचार्य/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण का होगा।

14- सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,81,80,000 (रुपये एक करोड़ इक्यासी लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031051005 मेडिकल कालेज, कानपुर का उच्चीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त -अनुभाग (व्ययक -आय)1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक -17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव

संख्या-उपरोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
5. श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव।

संलग्नक-1

ई-हास्पिटल प्रणाली को क्रियान्वित किये जाने हेतु उपकरण

क्र0सं0	कार्य का विवरण	उपकरण का नाम	संख्या	लागत (धनराशि रू0 में)
1	नेटवर्क	नेटवर्किंग राउटर विद	01	10,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	सम्बन्धित उपकरण	**फायरवॉल**		
		नेटवर्क रैंक हेतु स्विच	**02**	**80,000**
		वाईफाई राउटर कामर्सियल (08 विभागों एवं ग्राउण्ड फ्लोर हेतु)	**10**	**4,50,000**
		कम्प्यूटर (विद टी0एफ0टी0, सी0पी0यू0, प्रिन्टर, यू0पी0एस0 सहित) (फार्मेसी, ओ0पी0डी0 एवं 8 विभागों के वार्डो में डिस्चार्ज समरी एंव कार्यालयों हेतु)	**18**	**14,00,000**
		फोटोकापी मशीन (लार्ज साइज)	**10**	**8,00,000**
			योग	**37,30,000**

संलग्नक-2

क्र0सं0	उपकरण का नाम	मात्रा	प्रति नग उपकरण की लागत	कुल लागत
1	कामर्शियल फ्लोर स्क्रबर्स (बिग साइज) फार सिक्स फ्लोर 11 ओ0पी0डी0 एण्ड ओ0टी0 हेतु	02	3.00	6.00
2	कामर्शियल फ्लोर स्क्रबर्स (स्माल साइज) फार टायलेट्स	02	1.5	03.00
3	2 डी प्रोजेक्टर	9	1.5	13.50
4	इलेक्ट्रानिक आडियो-सिस्टम फार हास्पिटल (11 पृथक-पृथक ओ0पी0डी0 कक्ष एण्ड 01 ओ0टी0 हेतु)	12	7.00	84.00
5	इलेक्ट्रानिक आडियो-सिस्टम फार हास्पिटल एण्ड वार्ड हेतु	01	30.00	30.00
6	फोटोकापी मशीन (ब्लैक एण्ड	8	1.00	8.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	व्हाइट) 11-विभागो तथा 02-अधिष्ठान कार्यालय, 01-फार्मेसी, 01-रिकार्ड सेक्शन, 01-लेखा अनुभाग हेतु			
			कुल योग-	144.50

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।